न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2025/84

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा राज0.
— **अपीलांट**

बनाम

1. संतोष पत्नि टीकमचंद जाति भांभी
   1/1 बाबूलाल पुत्र टीकमचंद जाति भांभी
   1/2 ममता पुत्री टीकमचंद जाति भांभी
2. बाबूलाल पुत्र टीकमचंद जाति भांभी
3. ममता पुत्री टाकमचंद जाति भांभी
   समस्त निवासीगण ग्राम मांदलिया तहसील लाडपुरा, जिला कोटा।
4. उप पंजीयक कोटा।

—**रेस्पोडेन्टगण**

उपस्थित पक्ष बहस– 1. श्री पैरोकार सरकार, अपीलांट की ओर से ।
2. श्री रघुवीर यादव, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय **दिनांक 30.01.2026**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलेक्टर(मुख्यालय), कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 274/2014 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादी रेस्पोडेन्ट द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर कथन किया कि वादिनी के संसुर श्री अमरा जी उर्फ अमर लाल वल्द रामा जी को ग्राम मांदलिया, तहसील लाडपुरा जिला कोटा की आराजी खसरा नं0 20 की रकबा 10 बीघा किस्म बंजड सिवायवक दिनांक 12.05.1976 को आवंटन की गई थी, और आवंटन के उपरान्त उक्त आवंटित भूमि पर उन्हें गैर खातेदारी अधिकार जरिये इन्तकाल नं0 91 से दिये गये और सम्वत् 2035–38 में उक्त आराजी स्व० अमरा उर्फ अमर लाल के गैर खातेदारी में दर्ज रही, जिसकी किस्म बारानी सोयम दर्ज की गई। आवंटी अमरा उर्फ

अपील संख्या 2025/84
राज. सरकार बनाम संतोष, उप पंजीयक कोटा

अमर लाल जी अपने जीवन काल में उक्त आराजी पर बतौर गैर खातेदार काबिज काश्त रहे और तदुपरान्त 02.07.1986 को अमरा उर्फ अमर लाल का स्वर्गवास हो गया और उनके स्वर्गवास के उपरान्त वादिनी के पति व प्रतिवादी क्रम 2 व 3 के पिता टीकमचन्द जी, जो कि अमर लाल जी के पुत्र थे, वह आराजी पर उनके उत्तराधिकारी की हैसियत से काबिज हुये और काश्त करते रहे. तथा दिनांक 30.07.1999 को वादिनी के पति टीकमचन्द का भी स्वर्गवास हो गया और उसके उपरान्त वादिनी एवं प्रतिवादी नं० 2 व 3 आराजी पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है और आज भी मौके पर उक्त आराजी पर वादिनी एवं प्रतिवादी नं० 2 व 3 का ही कब्जाकाश्त है। सेटलमेन्ट के दौरान, सेटलमेन्ट अधिकारियों ने वादिनी के ससुर को आवंटित आराजी ख० नं0 20 रकबा 10 बीघा को अन्य भूमि में मिलाकर नया नम्बर 54 कायम कर रकबा 4.31 हैक्टेयर कायम करते हुये चारागाह दर्ज कर दिया, जब कि उक्त खसरा नम्बर 54 की 1.60 हैक्टेयर, 10 बीघा भूमि वादिनी के ससुर अमरा जी को आवंटनशुदा गैर खातेदारी की आराजी है और सेटलमेन्ट विभाग को बिना किसी कोम्पीटेन्ट कोर्ट के आदेश के रिकॉर्ड व रकबे को कमी बेशी करने या फेर बदल करने का अधिकार नही है, और सेटलमेन्ट द्वारा की गई इस प्रकार की त्रुटि प्रांरभ से ही कानूनन प्रभाव शून्य मानी गई है, और आराजी को आवंटन हुये 10 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है, और इसलिये वादिनी व प्रतिवादी नं0 2 व 3 को स्वतः ही भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है, और इस आधार पर वादीनी व प्रतिवादी नं० 2 व 3 उक्त ख० नं0 54 में से 1.60 है, को चारागाह से हटाकर स्वयें खातेदारी में दर्ज कराकर खातेदार घोषित होने की अधिकारी है। सेटलमेन्ट द्वारा भूमि को गलत तौर पर चारागाह में दर्ज करने के सम्बन्ध में ग्राम किशनपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की हाल ख0नं0 317 रकबा 0.38 है० आराजी वादी को नियमानुसार दिनांक 18.05.1989 को आवंटित की गई थी। उक्त भूमि पर बाद आवंटन दिनांक 10.06. 1989 को दखल दिया जाकर उक्त भूमि वादी की गैर खातेदारी में दर्ज कर दी गई जिस पर वादी का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है। वादी को उक्त भूमि पर ऋण की आवश्यकता होने पर बैंक में खाते की नकल लेकर गया तो बैंक वालो ने ऋण देने से मना कर दिया तथा कहा कि गैर खातेदार को ऋण नहीं मिलता है। पहले खातेदारी में भूमि दर्ज कराकर ले आओ। वादग्रस्त आराजी का वादी एकमात्र खातेदार हो चुका है और वह बहैसियत खातेदार काबिज काश्त चला आ रहा है। इस कारण उपरोक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गैर खातेदार दर्ज होने के कारण वादी खातेदार दर्ज करवाने व इन्द्राज दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। अन्त में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम मांदलिया तहसील लाडपुरा की खसरा संख्या 20 रकबा 10 बीघा भूमि के भू–प्रबन्ध पश्चात कायम किए गए खसरा संख्या 64 रकबा 4.31 हैक्टेयर में

से 10 बीघा अर्थात 1.60 हैक्टेयर आराजी का स्वयं को खातेदार दर्ज किए जाने तथा प्रतिवादी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का निवेदन किया।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02.06.2017 को वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी का वादीगण को खातेदार घोषित किए जाने की निर्णय व डिक्री पारित की।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2017 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2017 को खारिज फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से अपील मियाद बाहर पेश की गई। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट–टू–लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट को निर्णय दिनांक 02.06.2017 के परीक्षण एवं विश्लेषण में समय लगा तथा अपीलांट की राजकार्य में अत्यधिक व्यस्तता के कारण अपील नहीं कर पाए जो काबिल माफी है। अपील पेश करने में देरी जानबूझकर नहीं बल्कि सद्भाविक हुई है। अपीलांट की अपील पेश करने की डिले कन्डोन की जाकर अपील अन्दर मियाद स्वीकार की जाकर सुनवाई का आदेश प्रदान किया जाना आवश्यक है। अन्त में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को माफ किए जाने तथा अपील अंदर मियाद शुमार किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय न्याय संचिका के सिद्धी प्राप्त तथ्यो के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। रेस्पोडेंटगण द्वारा अधीनस्थ

न्यायालय में अपीलाण्ट के विरूद्ध धारा 88, 89, 92ए, 188 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत वाद पेश किया था। उक्त वाद में यह सहायता चाही गई थी कि ग्राम मांदलिया तहसील लाडपुरा के ख.नं. 54 रकबा 4.30 हैक्टेयर में किस्म चरागाह में से 1.60 है. आराजी को रेस्पो. संतोष पत्नि टीकमचंद के गैर खातेदारी में दर्ज करें, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर उक्त आराजी को रेस्पो. के गैरखातेदारी में दर्ज करने का निर्णय पारित किया जाकर भूल की है, जो निरस्तनीय है। उक्त निर्णय में माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आर.टी. एक्ट 1955 की धारा 16 का स्पष्ट उल्लंघन किया है जिसमें यह उल्लेखित है कि चरागाह भूमि में खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होंगे, यही तथ्य चरागाह की परिभाषा धारा 5(28) में भी उल्लेखित है। अतः पारित निर्णय निरस्तनीय है। केवल मात्र आवंटन को 10 वर्ष हो जाना खातेदारी अधिकारी की गारंटी नहीं होता, आदिनांक तक आवंटन शर्तों की ना तो आवंटी द्वारा पालना की गई, ना ही उसे आवंटन पत्र के आधार पर कहीं दखलनामा दिया, ना ही किसी भूमि का कब्जा सुपुर्द किया गया। आवंटन पत्र निरस्त के लिए भी पृथक से प्रक्रिया जैरकार है। अतः माननीय अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्तनीय है। उपरोक्त प्रकरण के माननीय न्यायालय ने आवंटी को गैरखातेदारी अधिकारी दिये जाने की शर्तों/निबन्धनों की पालना किये बिना पूरी प्रक्रिया पालना के ही गैरखातेदार अधिकार दिये है जो कि निरस्त योग्य है। उपरोक्त प्रकरण में आवेदन पश्चात दखलनामा नहीं दिया गया, ना ही भूमि पर विभाग द्वारा कब्जा सुपुर्द किया गया और ना ही आ दिनांक को रेस्पो, भूमि पर कहीं काबिज है। गैरखातेदारी अधिकारी दिये जाने की शर्तों/निबन्धनों की पालना किये बिना ही गैरखातेदार अधिकार दिये है जो काबिल निरस्त है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद में तनकियात कायम किये बिना निर्णय पारित किया है जो सी.पी.सी. प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। राज्यहित नुकसान की जानकारी होते ही यह अपील मियाद अवधि में प्रस्तुत है. वैसे भी उक्त निर्णय एवं डिक्री आरम्भतः शून्य होने से इस पर समय अवधि के प्रावधान लागू नहीं होते। अपीलांट द्वारा निर्णय एवं डिक्री के संबंध में पूर्व में कोई अपील पेश नहीं की है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.20107 को निरस्त फरमाया जावे।

8. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में अपीलांट स्वयं पक्षकार था। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की भली–भांति जानकारी थी। इसके बावजूद भी अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में जानबूझकर विलम्ब से अपील पेश की गई है। विलम्ब का कोई पर्याप्त कारण भी अपीलांट ने अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित नहीं किया है। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज किए जाने योग्य है। वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के ससुर व दादाजी अमरा उर्फ अमर लाल की आवंटनशुदा भूमि है। वादग्रस्त आराजी अमरा को नियमानुसार आवंटित की गई है। आवंटन के पश्चात

आवंटनशुदा भूमि के मोके पर दखल दिया जाकर अमरा जी को कब्जा सुपुर्द किया गया है। अमरा जी आवंटन की दिनांक से ही वादग्रस्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा था तथा उनकी मृत्यु के पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 वादग्रस्त आराजी पर निरंतर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादग्रस्त आराजी नामान्तरकरण संख्या 91 से अमरा उर्फ अमरालाल की गैर खातेदारी में दर्ज की गई है। सेटलमेंट विभाग को वादग्रस्त आराजी की किस्म परिवर्तित करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः सेटलमेंट विभाग द्वारा की गई त्रुटि प्रारंभ से ही शून्य है। अपीलांट का वादग्रस्त भूमि पर कोई हक अधिकार एवं कब्जा काश्त नहीं है। अतः अपीलांट वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपीलांट ने हस्तगत अपील में मिथ्या कथन अंकित किए है अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2017 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

9. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया।

सर्वप्रथम प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है अतः न्यायहित में प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत वाद में वादीगण रेस्पोडेन्टगण द्वारा वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम मांदलिया तहसील लाडपुरा की खसरा 54 रकबा 4.31 हैक्टेयर में से 1.60 हैक्टेयर आराजी का स्वयं को खातेदार घोषित किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। वादीया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कथन है कि वादग्रस्त आराजी उसके ससुर अमरा की आवंटनशुदा भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न प्रदर्श–1ए के अनुसार ग्राम मांदलिया तहसील लाडपुरा की खसरा संख्या 20 रकबा 10 बीघा भूमि अमरा पुत्र रामा को आवंटित किए जाने का अंकन है। प्रदर्श–2 नामान्तरकरण पंजिका ग्राम

मांदलिया तहसील लाडपुरा के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 91 से खसरा संख्या 20 की 10 बीघा भूमि अमरा वल्द रामा को आवंटित किए जाने का अंकन है। प्रदर्श–3 नक्शा ट्रेस, प्रदर्श–4 जमाबंदी सम्वत् 2066 से 2069, प्रदर्श–5 खसरा गिरदावरी चतुवर्षीय सम्वत् 2066 से 2069 है। प्रदर्श–6 मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2038 से 2057 के अनुसार हाल खसरा संख्या 54 रकबा 4.31 हैक्टेयर गत खसरा संख्या 37मि., 20मि., 36मि. से बना होने का अंकन है। अतः वादग्रस्त आराजी अमरा वल्द रामा की आवंटनशुदा भूमि होना प्रकट होता है। अपीलांट का कथन है कि वादग्रस्त आराजी चारागाह भूमि है तथा चारागाह की भूमि में खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2066 से 2069 के अनुसार वादग्रस्त आराजी राज. सरकार के खाते दर्ज है तथा वादग्रस्त आराजी की किस्म चारागाह दर्ज रिकॉर्ड है। अतः अपीलांट का यह कथन दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित है कि वादग्रस्त आराजी चारागाह दर्ज रिकॉर्ड है। अतः ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी के सम्बंध में उभयपक्षकारान के हक अधिकारों को लेकर प्रकरण में समुचित तनकीयात की जाकर तथा उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत ही किसी न्यायसंगत निष्कर्ष पर पंहुचा जा सकता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट सरकार से वादग्रस्त आराजी के सम्बंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं जवाबदावा लिया जाना आवश्यक था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी सरकार से कोई जवाबदावा नहीं लिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कोई तनकीयात कायम नहीं की गई। अपीलांट एवं अन्य पक्षकारान की साक्ष्य नहीं ली गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जवाबदावा लिए बिना तथा तनकीयात कायम किए बिना ही प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2017 पारित की गई है जो सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 के अनिवार्य प्रावधानों के विपरीत होने के कारण त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। हमारे मत में उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से, स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय कोटा, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 274/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2017 निरस्त की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांट को पुनः जवाबदावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करें तथा उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 5

अपील संख्या 2025/84

राज. सरकार बनाम संतोष, उप पंजीयक कोटा

की पालना में नवीन निर्णय पारित करें। तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता है कि वह हस्तगत प्रकरण में राज्य हितों को दृष्टिगत रखते हुए जवाब प्रस्तुत करके नियमानुसार पैरवी करें। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 17.03.2026 को स्वयं उपस्थित रहे।

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

12. निर्णय आज दिनांक 30.01.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30/1/26

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील अधिकारी, कोटा